न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/17/2019	2019/00321	01.10.2019	06.06.2022

—::उनवान::—

1. पंचायत समिति बहरोड़ जिला अलवर जरिये विकास अधिकारी

—निगरानीकार

बनाम

1. मीरा देवी पत्नी राकेश जाति लखेरा निवासी ग्राम बसई तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0
2. ग्राम पंचायत बसई तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 जरिये सचिव/सरपंच।

—अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बसई का निर्णय दिनांक 20.09.2016 पट्टा संकल्प सं0 41 प्रस्ताव दिनांक 09.05.2016 अन्तर्गत धारा 97 (1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994

उपस्थितः—

01. श्री अशोक शर्मा **—वकील निगरानीकार**

——:: निर्णय ::——

निगरानीकार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बसई के आदेश दिनांक 20.09.2016 से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अनिगरानीकार सं0 1 ने अनिगरानीकार सं0 2 के समक्ष प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसकी एक दुकान 9 गुणा 10 गज की स्थित है का पट्टा लेना चाहती हूं। अनिगरानीकार सं0 2 ने दिनांक 05.09.22016 को प्रस्ताव लेकर दुकान का पट्टा जारी करने के आदेश पारित कर दुकान का पट्टा दिनांक 20.09.2016 को जारी कर दिया। जो पंचायती राज अधिनियम की पूर्णतः अनदेखी कर जारी किया गया है। पंचायत को निर्णय लेने से पूर्व आंवटित/नीलामी की जाने वाली भूमि का मौका निरीक्षण कर उज्रदारी जारी कर भूमि की किस्म की जांच कर भूमि को विक्रय करना चाहिए था। पं0रा0अधि0 के नियम 140 के तहत पंचायत को केवल नजूल भूमि के विक्रय का अधिकार है। केवल निमय 157 में पुराने गृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान है। किन्तु उक्त नियम में पूर्व में निर्मित गृहो को ही विनियमित किये जा सकते है। उक्त प्रस्ताव आवास/ग्रह का नहीं है तथा व्यावसायिक स्थल का विनियमितिकरण संभव नहीं है। अनिगरानीकार ने पट्टा दिये जाने के कुछ समय पूर्व ही पडत प्लॉट मुकेश कुमार नामक व्यक्ति से खरीद किया है। पडत भू खण्ड का पट्टा जारी किया जाना विधि के प्रतिकूल है। अतः निगरानी निगरानीकार पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर ग्राम पचांयत बसई द्वारा जारी विक्रय विलेख सं0 041 दिनांक 20.09.2019 को अपास्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं निगरानीकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में निगरानीकार द्वारा निगरानी में पेश तथ्यों व बहस के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बसई द्वारा जारी पट्टा विलेख सं0 41 दिनांक 20.09.2019 नियम विरूद्ध दुकान की भूमि का विक्रय पट्टा जारी किया है जो गलत तरीके से जारी किया गया है। पं0रा0अधि0 के नियम 140 के तहत पंचायत को केवल नजूल भूमि के विक्रय का अधिकार है। केवल निमय 157 में पुराने

गृहों के विनियमितिकरण का प्रावधान है। किन्तु उक्त नियम में पूर्व में निर्मित गृहो को ही विनियमित किये जा सकते है। उक्त प्रस्ताव आवास/ग्रह का नहीं है तथा व्यावसायिक स्थल का विनियमितिकरण संभव नहीं है। निगरानीकार की निगरानी प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पट्टा विलेख सं0 41 दिनांक 20.09.2016 नियम विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय रिकॉर्ड भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर